| | राजस्थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary |
|---|---|---|
| सत्यमेव जयते | साअधिकार प्रकाशित | *Published by Authority* |
| | आश्विन 25, गुरूवार, *शाके* 1941–अक्टूबर 17, 2019 *Asvina 25, Thursday, Saka 1941–October 17, 2019* | |


भाग-1(ख)

महत्त्वपूर्ण सरकारी आज्ञाएँ

**विधि एवं विधिक कार्य विभाग**

अधिसूचना

**जयपुर, सितम्बर 27, 2019**

**संख्या प.1(1)न्याय/2016 पार्ट-II** :-राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 7 की उपधारा (1), धारा 12 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) तथा दण्ड प्रिक्रया संहिता 1973 (सन् 1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार, निम्नलिखित सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय तुरन्त प्रभाव से सृजित एवं स्थापित करती है:-

| क्र.सं. | नवसृजित् न्यायालय का नाम | जिला | बैठक का स्थान |
|---|---|---|---|
| 1. | सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, रानी | पाली | रानी |

नोट:- उपरोक्त न्यायालय का स्थानीय क्षेत्राधिकार राजस्थान सिविल न्यायालय, अध्यादेश, 1950 की धारा 7(2) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत्संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

**राज्यपाल के आदेश से ,**
विनोद कुमार भारवानी,
**प्रमुख शासन सचिव।**



राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।